राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या–972 / 2018

आदेश दिनांकः– **17.02.2020**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थितः–
अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :– श्री भरत सैनी
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :– श्री एस.सी.मित्तल

प्रार्थना पत्र संख्या–01 / 2020, जिसके द्वारा आदेश दिनांक 06.12.2019 की पालना में पंचाट राशि जमा कराये जाने हेतु दी गई अवधि को विस्तारित करने की प्रार्थना की गई है, पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 06.12.2019 की पालना में मूल बैंक ड्राफ्ट संख्या–269312 भारतीय स्टेट बैंक, राशि 2,66,263 / –रूपये दिनांकित 15.01.2020 प्रस्तुत करते हुए प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को उसे दिये जाने में अनापत्ति प्रकट की ।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी को उक्त बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, अतः योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी को उक्त बैंक ड्राफ्ट न्यायालय में दिलाया गया ।

उक्त तथ्यों को व प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक–06.12.2019 की पालना में पंचाट राशि जमा कराये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है व आदेश दिनांक 06.12.2019 की पालना किया जाना माना जाता है ।

उक्त बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति अभिलेख में संलग्न की जावे।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी–78